<u>न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प भोपाल</u>

निगरानी प्रकरण कमांक /पी.बी.आर/2018

निगरानी-2651/2018/भोपाल/भू.रा.

श्रीमति रूखसाना बी, आयु लगभग 46 वर्ष,
पत्नी स्व. श्री हबीब अहमद
निवासी ग्राम फतेहपुर डोबरा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .... आवेदिका

विरूद्ध

आवेदक अभिभाषक श्री देवेन्द्र साहू द्वारा भोपाल केम्प में प्रस्तुत। 24/5/18

1. अरशद खॉ
2. फरहा
3. अथर
4. फरहीन
5. आफरीन

सभी पुत्र पुत्रीगण अखतर अली

6. श्रीमति रौनक जहॉ पत्नी श्री महबूब खा
7. वकार खॉ
8. नासिर खॉ
9. साबिर खॉ
10. निसार खॉ

सभी पुत्रगण हामिद खॉ
निवासी शाहजहानाबाद भोपाल

11. श्रीमति अफरोज जहॉ पत्नी अजहर अली,
12. श्रीमति फिरदोस पत्नी अजहर अली
13. श्रीमति फिरोज जहां पत्नी साहब वासिद
14. लईक अहमद
15. अशफाक अहमद
16. अनवर अहमद

पुत्रगण स्व. अजीज अहमद
निवासीगण अहाता रूस्तम खां
भोपाल .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 16.3.2018 पारित व्दारा न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर जिला भोपाल अंतर्गत प्रकरण कमांक 440/अ-6 /2014-15 पक्षकारगण श्रीमति रूखसाना विरूद्ध अरशद खां व अन्य ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-04-2018	आवेदक की ओर से श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदकगण की ओर से श्री योगेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक उपस्थित । दोनों अभिभाषकों को सुना गया । राजस्व मंडल पूर्व आदेश दिनांक 12-10-2017 का अवलोकन किया गया ! इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12-10-2017 को पारित आदेश में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये गये थे कि आवेदक पक्ष दस्तावेजों की जांच कराना चाहता है, इसलिये आवेदक के व्यय पर हस्तलिखित विशेषज्ञ से जांच करायी जाये । तहसील न्यायालय द्वारा हस्तलिखित विशेषज्ञ से दस्तावेजों की जॉच कराई गई, जिसका प्रतिपरीक्षण चाहे जाने पर का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है जो उचित कार्यवाही नहीं है। तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16-3-18 निरस्त किया जाकर तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि आवेदक ने आवश्यक शुल्क जमा न किया हो तो आवेदक से आवश्यक शुल्क 10 दिवस में जमा कराकर हस्तलिखित विशेषज्ञ का प्रतिपरीक्षण करायें । तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	